आई सी एम आर – राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

icmr INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH | NIRTH NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH IN TRIBAL HEALTH

ICMR - National Institute of Research in Tribal Health
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

किराये पर वाहन लेने बावत् सूचना

आई.सी.एम.आर–राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान नागपुर रोड़, गढ़ा, जबलपुर द्वारा अनुसंधान कार्य के मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण व आसपास के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करने के लिए (अधिकतम तीन चार वर्ष पुराने) व टैक्सी परमिट (ऑल इण्डिया, मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ एवं आवश्यकतानुसार अन्य राज्य) वाले वाहन जैसे स्कार्पियो, बुलेरो, इन्नोवा, एर्टिगा, मिनी बस 16 मीटर, ट्रैवलर 12 मीटर के लिए अलग–अलग निविदाऐं समस्त खर्चो, करों इत्यादि वाहन मालिक के होंगे प्रतिमाह एवं प्रतिदिन (समस्त खर्चों सहित) के आधार पर दिनॉक 12.03.2019 के प्रातः 11:00 बजे तक आमंत्रित करते हैं। जिनकी वैद्यता कम से कम एक वर्ष या 31 मार्च 2020 तक होनी चाहिए। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते केन्द्र के वेबसाइट www.nirth.res.in पर उपलब्ध हैं। । वाहन स्वामियों को निविदाओं के साथ ई एम डी राशि रूपए 5,000/– (अंकन पॉच हजार रूपये) जो निदेशक, आई.सी.एम.आर–एन.आई.आर.टी.एच., जबलपुर को देय होगा, निविदा पत्रों के साथ जमा करना होगा ऐसा ना होने पर आपका निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिस पर कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन्हें नियत समयावधि में निदेशक आई.सी.एम.आर.–एन.आई.आर.टी.एच., जबलपुर नागपुर रोड़, गढ़ा, को मुहर बंद लिफाफे पर वाहन किराये पर लगाने हेतु निविदा लिखकर दिनॉक – 12/03/2019 प्रातः 11:00 बजे तक कार्यालय को प्रेषित/जमा कर सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।

निदेशक

Bhone

NIRTH काम्प्लेक्स, नागपुर मार्ग, पो. ऑ. गढ़ा, जबलपुर, मध्य प्रदेश– 482 003, भारत
NIRTH Complex, Nagpur Road, P.O. Garha, Jabalpur, Madhya Pradesh – 482 003, India

Tel: +91-761-2370800
Fax: +91-761-2672835
www.nirth.res.in

विश्व स्वास्थ्य संगठन
जनजाति स्वास्थ्य के लिए सहयोगी केंद्र

World Health Organization
Collaborating Centre for the Health of
Indigenous Populations

किराये पर लिए जाने वाले वाहनों के नियम एवं शर्ते

1. निम्न वाहनों के लिए निविदाऐं आमंत्रित की गई हैः—
   I. स्कार्पियों
   II. बोलेरो
   III. इन्नोवा / एर्टिगा
   IV. मिनी बस 16 मीटर
   V. ट्रैवलर 12 मीटर
2. नये वाहन (अधिकतम 3 वर्ष पुराने) होने चाहिए, जिसके लिए प्रमाणस्वरूप निविदा प्रस्तुत करते समय वाहन के पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें।
3. टैक्सी परमिट, ऑल इण्डिया / मध्यप्रदेश वाले वाहनों की निविदाओं को ही स्वीकार किया जावेगा।
4. वाहन में सभी प्रकार की विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जैसे–रोड़ टैक्स, इंश्योरेन्स, रोड़ परमिट, पी0यू0सी0 व अन्य आवश्यक।
5. किराए पर लिए गए वाहन को मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ व आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों के वाहरी, ग्रामीण एवं वन्य क्षेत्रों में भ्रमण के लिए उपयोग किया जाएगा।
6. वाहन स्वामी / फर्म प्रत्येक वाहन की अलग–अलग दरें, जिसमें समस्त कर, सेवा कर, व्यय, सुधार / मरम्मत व वाहन चालक का व्यय एवं अन्य वाहन से संबंधित संभावित खर्च सम्मिलित हों व दरें कम से कम एक वर्श या 31 मार्च 2020 तक वैद्य होनी चाहिए।
7. कार्यालय द्वारा वाहन से संबंधित किसी प्रकार का व्यय, जैसे – वाहन सुधार / मरम्मत व अन्य खर्च वहन नहीं किया जाएगा और न ही कोई नाईट हाल्ट या अन्य प्रभार दिया जावेगा। यदि वाहन ड्यूटी के दौरान खराब हो जाता हैं तो वाहन स्वामी / फर्म को या तो वाहन तुरन्त सुधरवाना होगा या फिर दूसरा वाहन उसी जगह भेजकर उपलब्ध कराना होगा। यदि ऐसा न हुआ तो वाहन का उसके बाद किराया व अन्य जायज व्यय कोई होगा तो काट लिया जावेगा।
8. उन्हीं वाहन स्वामियों / फर्म की निविदा को यदि न्यूनतम पाई जाती हैं, तो स्वीकार की जाएगी, जिनके **स्वामित्व में कम से कम तीन टैक्सी परमिट वाले वाहन होना चाहिए,** एवं **PAN Number** एवं **R.T.O.** से अधिकृत हो साक्ष्य प्रस्तुत करना भी अनिवार्य हैं।
9. वाहन स्वामी / फर्म द्वारा लाइसेन्सधारी, कुशल व अनुभवी वाहन चालक उपलब्ध कराऐंगे एवं वाहन चालक के समस्त प्रकार के खर्च (स्थानीय एवं बाहर होने पर) वाहन स्वामी / फर्म को वहन करना होगा।
10. स्थानीय ड्यूटी या फील्ड भ्रमण के दौरान किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना / विवाद आदि के लिए वाहन स्वामी / फर्म स्वयं जवाबदार होगा, कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वाहन से संबंधित समस्त प्रकार की वैद्यानिक कार्यवाहियॉ यदि कोई हो तो वाहन स्वामी / फर्म की जवाबदारी होगी और कार्यालय को इससे कोई संबंध नहीं होगा।
11. वाहन को कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार स्वामी / फर्म को मांगे गए नियत स्थान, समय व तारीख पर वाहन समस्त सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराना होगा।
12. वाहन स्वामी / फर्म को वाहन की निविदा देते समय वाहन से संबंधित समस्त जानकारी, जैसे – वाहन का नाम, मॉडल, मेक (निर्माण वर्श), वाहन के पंजीयन की तारीख, बीमा की वैद्यता, वाहन का प्रकार व

Bhome

अन्य जानकारी आदि का ब्यौरा उपरोक्त जानकारी के प्रमाण की छायाप्रति के साथ संलग्न कर निविदाऐं जमा करनी होगी।

13. निविदाऐं इस प्रकार भेजी जानी चाहिए, जिससे वे नियित तिथि या इसके पूर्व इस कार्यालय को प्राप्त हो जाएं, अन्यथा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम दिनॉक 12/03/2019 के प्रातः 11:00 बजे है। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दिनॉक 12/03/2019 के दोपहर 03:00 बजे खोला जावेगा।

15. डाक या कोरियर द्वारा प्राप्त निविदा नियत तिथि तक स्वीकार की जावेगी।

16. वहन स्वामियों/फर्म को निविदाओं के साथ ई.एम.डी. राशि रू. 5,000/– (अंकनः– पॉच हजार रूपये) जो निदेशक एन.आई.आर.टी.एच. जबलपुर को देय होगा निविदा पत्रों के साथ जमा करना होगा ऐसा न होने पर उनका निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

17. 100/– नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक वर्ष की अवधि के लिये करार नामा निदेशक एन.आई.आर.टी.एच. के पक्ष में करना होगा।

18. सिक्योरिटी डिपाजिट 10,000 /– एफ.डी.आर. या बैंक ड्राफ्ट निदेशक एन.आई.आर.टी. एच. के नाम पर देय होगा, जो करार अवधि समाप्ति के उपरान्त वापिस की जावेगी।

19. निदेशक द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार या आंशिक स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जो सभी को मान्य होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ट्रांसपोर्ट

कृते निदेशक

Shome

वाहन किराये पर लगाने वावत फार्म

प्रति,

निदेशक
आई.सी.एम.आर.–रा.ज.स्.अ.सं.
नागपुर रोड, पो0ऑ0–गढ़ा, जबलपुर

विषयः– वाहन किराये पर लगाने वावत।

महोदय,

विषयान्तर्गत, मैं अपने वाहन जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है कि आपके कार्यालय में आपकी शर्तों के अधीन किराये पर लगाना चाहता हूँ, जिसके लिये मैं अपनी न्यूनतम दरें समस्त खर्चों/व्ययों (जिनमें वाहन का मरम्मत–सुधार कार्य, टेक्स, इंश्योरेन्स, वेटिंग व हॉल्टिंग एवं वाहन चालक आदि के व्यय सम्मिलित हैं) । नीचे दिये नियत प्रारूप में वाहन से संबंधित समस्त कागजात जैसे– वाहन के पंजीयन की, इन्योरेन्स, टेक्सी परमिट व वाहन स्वामी होने का प्रमाण आदि की छायाप्रति के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा वाहन में कैरियर होना चाहिए। दरें आगामी एक वर्ष या कम से कम 31 मार्च 2020 तक बिना किसी बदलाव के प्रभावी रहेंगी।

वाहन का विवरण	निर्माण वर्ष	टेक्सी परमिट नं./दिनॉक	किराया प्रति दिन	किराया प्रति माह
(1)स्कार्पियों/बोलेरो				
(2)इनोवा/आर्टिका				
(3)मिनी बस 16 सीटर				
(4)ट्रेवलर 12 सीटर				

साथ ही यह घोषणा करता हूँ कि मुझे किराये पर वाहन लगाये जाने संबंधी नियम एवं शर्तें पूर्णतः मंजूर हैं और यदि मेरे वाहन/वाहनों को किराये पर कार्यालय द्वारा लगाया जाता है तो मैं कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर नियत समय व तिथि को अपना वाहन भेजूंगा, इस सहमति के साथ मैंने अपनी दरें प्रस्तुत की हैं।

संलग्नः– गाड़ियों से संबंधित कागजात।

भवदीय

( )

पूरा पता– ....
....
....

नोटः– निविदाकार या तो अपने फर्म के लेटर हेड पर दरें प्रस्तुत करेगा या अपनी फर्म की सील लगाकर इस फार्म को भरेगा। साथ ही फोर व्हील ड्राइव के वाहन की दरें अलग से इस फार्म पर दे सकते हैं।

Phono